कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष– 0542 2222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Tel. No.- 0542 2222689

पत्रांक : कु0स0–2B स0अ0/4078 /02–603–2020/2021 दिनांक : 15 फरवरी, 2021

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित महादेव महेन्द्र महाविद्यालय,
फेसुड़ा, सकलडीहा, सैयदराजा,
चन्दौली।

विषयः नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 11.01.2020 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानो को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यकमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक–2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 15.02.2021 की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रस्तावित महादेव महेन्द्र महाविद्यालय, फेसुड़ा, सकलडीहा, सैयदराजा, चन्दौली को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृहविज्ञान, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र एवं विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों तथा वाणिज्य संकाय में बी0काम0 पाठ्यक्रम की सम्बद्धता प्रकिया प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

1. उक्त पाठ्यकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
2. उक्त विषय/पाठ्यकम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानको के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न हीं उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
5. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

.....2